

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,
विशेष सचिव,
30 प्र0 शामना

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ

नगर विकास अनुभाग-8

लखनऊ: दिनांक 15 जून, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में 'डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना' के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद जौनपुर को पूर्व में सोलर पावर प्लान्ट के माध्यम से मार्ग प्रकाश एवं पेयजल की व्यवस्था किये जाने हेतु निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद जौनपुर को सोलर पावर प्लान्ट के माध्यम से मार्ग प्रकाश एवं पेयजल की व्यवस्था किये जाने हेतु डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना अन्तर्गत शासनादेश द्वारा सम्बन्धित नगर पालिका परिषद द्वारा प्रस्तुत कार्य योजनाओं के आधार पर, सम्बन्धित कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी थी, जिसके सापेक्ष सम्बन्धित निकाय द्वारा 'डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना' के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोग करते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। अतः 'डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना' में वित्तीय वर्ष 2018-19 में जारी किये गये विभिन्न शासनादेशों में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नलिखित नगर पालिका परिषद जौनपुर को उनके नाम के सम्मुख अंकित धनराशि चालू कार्यों हेतु अवमुक्त करते हुए कुल धनराशि रूपये 140.00 लाख (रूपये एक करोड़ चालीस लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्रमांक	निकाय/जनपद का नाम	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	पूर्व में निर्गत वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	5	6	7
1	नगर पालिका परिषद जौनपुर, जौनपुर।	संख्या-115/2016/तौ-8-16-02एस0 (बजट)/2016 दिनांक 26.08.16	210.63	70.63	140.00
योग			210.63	70.63	140.00

(रूपये एक करोड़ चालीस लाख मात्र)

3. निदेशक नगरीय निकाय उत्तर प्रदेश द्वारा 'डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना' के अन्तर्गत अवमुक्त की गयी धनराशि को योजनान्तर्गत निदेशालय स्तर पर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये नोडल खाते के माध्यम से निकायों के द्वारा 'डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना' के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये बचत खाते में 07 दिनों के अन्दर धनराशि अन्तरित की जायेगी।

4. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- '2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-06-डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के नामे डाला जायेगा।

5. उपर्युक्त नागर निकाय को अवमुक्त की जा रही द्वितीय किश्त की धनराशि की उपयोगिता अवधि दिनांक 31.03.2019 तक के लिए निर्धारित है। अतः उक्त अवधि में द्वितीय किश्त की धनराशि का उपयोग कर निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

6. सम्बन्धित नगर पालिका परिषद को 'डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना' के अन्तर्गत पूर्व में जारी की गयी वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित स्तम्भ 03 में उल्लिखित शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

7. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

मन्त्रीय


(अनिल कुमार बाजपेयी)

विशेष सचिव।

संख्या-1928 (1)/नी-8-18 तबदितांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
3. निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
4. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
7. सम्बन्धित अध्यक्ष/अधिसामी अधिकारी, नगर पालिका परिषद उ०प्र०।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 एवं 9/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

अज्ञेय से


(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।